न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2025 / 646 दर्ज तिथिः–11.09.2025

1. जामीनखान वल्द मांजीखान
   जाति मुसलमान निवासी शमों की ढाणी, पटवार हल्का खुडाला तहसील गुड़ामालानी।

................प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. नजिरखां पुत्र मेहराब
3. लफीफखां पुत्र मेहराब
4. हकीमा पत्नी मेहराब
5. सिदिक पुत्र मांझी
   जाति मुसलमान निवासी शमों की ढाणी पटवार मण्डल खुडाला तहसील गुड़ामालानी।

..................असल अप्रार्थीगण

6. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी।
7. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमना।

तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीः– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–30.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 14 / 7.6324 है0, 19 / 0.0809 है0, 192 / 13 / 2.2015 है0, 20 / 5.6656 है0, 31 / 4.0792 है0 मौजा शमों की ढाणी पटवार हल्का खुडाला तहसील गुड़ामालानी में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में प्रार्थी के नाम जाम पुत्र माझी अंकित है। जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैक डायरी, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड में जामीन खान पुत्र मांजीखान दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में भी परिवर्तित नाम जामीन खान पुत्र मांजीखान दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के नाम में भिन्नता के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम को राजस्व रिकार्ड में जामीन खान पुत्र मांजीखान दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1921 दिनांक 19.01.2026 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का परिवर्तित नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खाता संख्या 26 मौजा शमों की ढाणी के नवीन खाता संख्या का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (है0)
जाम पुत्र माझी	26 शमो की ढाणी	14	7.6324
		19	0.0809
		192/13	2.2015
		20	5.6656
		31	4.0792

4. प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में रामकेन पुत्र बांकाराम अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

दस्तावेज का विवरण	नाम
आधार कार्ड	जामीन खान पुत्र मांजी खान
जन आधार कार्ड	जामीन खान
बैक डायरी	जामीन खान

5. प्रकरण में तहसीलदार गुढामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

*उक्त प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 के अंतर्गत मुताबिक हाल जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या 26 वाके ग्राम डी भोमियाजी नगर हिस्सा 1/3 जाम पुत्र माझी जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैक डायरी में जामीन खान पुत्र मांझी खान दर्ज है। अतः आधार कार्ड, बैक डायरी, मतदाता फोटो पहचान कार्ड एवं मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट एवं जानकारी के आधार पर **जाम***

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र माझी के स्थान पर जामीन खान पुत्र मांझीखान *शुद्ध किया जाना उचित होगा। जाम एवं जामीनखान एक ही व्यक्ति है।*

6. उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के बाद पाया गया कि तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का परिवर्तित नाम दर्ज नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में जामीन खान पुत्र मांजीखान अंकित है जो बिंदू संख्या–4 में वर्णित है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि तहसीलदार गुड़ामालानी ने अवगत करवाया है कि प्रार्थी का नाम पूर्व में जमाबंदी में अंकित नाम से प्रार्थी द्वारा अपना नाम परिवर्तित करवाये जाने के कारण जाम पुत्र माझी के स्थान पर जामीन खान पुत्र मांजीखान दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 तहसीलदार गुढामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी में नाम ***जाम पुत्र माझी*** *को कलमजन कर उस के स्थान पर* ***जामीन खान पुत्र मांजीखान*** *का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।*

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested